

भारतीय समाज के वृद्धजन का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

डॉ० रवीन्द्र बन्सल
एशोसियेट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
बरेली कालेज, बरेली।

सारांश

वृद्धावस्था एक ऐसा सत्य है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही आता है। भारत के सन्दर्भ में प्राचीन समय में वृद्धों की स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ उनकी सेवा करने वाले मूल्य समाप्त हो रहे हैं। चिकित्सा की सुविधाओं के बढ़ने से व्यक्ति की आयु में भी वृद्धि हुई है जिससे वृद्धों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, लेकिन उनकी सेवा करने वाले मूल्य समाप्त हो रहे हैं।

समय-समय पर राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्धों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक योजनाएं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं लेकिन अनेक कार्यक्रमों और सुविधाओं में वृद्धि की जरूरत है। समस्या के समाधाने लिए डे-केयर सेन्टर, परिवार परामर्श, दादा-दादी अपनाओ की स्थापना करनी होगी। तब ही वृद्धों की स्थिति में सुधार होगा।

मुख्य बिन्दु

परम्परागत समाज, वर्तमान समाज, सुविधाएं, मूल्यों में परिवर्तन, धर्म ग्रन्थ

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वृद्धावस्था आती है जिसे नकारा नहीं जा सकता है यह एक जैवकीय प्रक्रिया है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह प्रारम्भिक अवस्था होती है। इसी तरह वह बाल्यावस्था, किशोरावस्था युवावस्था और अन्तिम वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। यह तो नहीं हो सकता कि वह हमेशा बालक ही रहे। जब आयु में बढ़ोतरी होती है, धीरे-धीरे व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम होने लगती है, और बाहरी शक्ति कमजोर होने लगती हैं, और बाहरी शक्तियों में बदलाव दिखाई देने लगता है। व्यक्ति हमेशा कार्य करता रहे, यह संभव नहीं है। वह एक समय के बाद कार्य करना बन्द कर देता है अर्थाथ उसकी कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है।

प्राचीन समय में हमारे ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया था, उनके अनुसार व्यक्ति प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष रहता था। पहला आश्रम ब्रम्हचर्य आश्रम कहलाता है जिसमें बालक गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए रहता है, उसके पश्चात वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में वह 25 वर्ष रहकर, वंश परम्परा को आगे बढ़ाकर पूर्ण करता है। जब वह 50 वर्ष का हो जाता है जो वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसमें ही वृद्धावस्था प्रारम्भ हो जाती थी।

डॉ० शिवराज शास्त्र (1962) ने वृद्धों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “ऋग्वेद के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था में शक्ति क्षीण हो जाने पर पिता के अधिकारों का ह्रास हो जाता है और कदाचित् क्रूर सन्तानों द्वारा पिता का परासन भी कर दिया जाता था।”

डॉ० कैलाश चन्द्र जैन ने लिखा है कि “मनुस्मृति के अनुसार जब गृहस्थ अपने शरीर पर झुर्रियों को देखे, उनके बाल पक जायें एवं पुत्रों के पुत्र हो जायें तो उसे वन की राह ले लेनी चाहिए।”

वृद्ध नागरिक किसे कहा जाय, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोई आयु है जिसके बाद व्यक्ति को वृद्ध कहा जाये इस पर भारत में 60 वर्ष की आयु वालों को वृद्ध कहा जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निश्चित की है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्ध कहा गया है।

यूनाइटेड नेशन पापुलेशन डिवीजन के अनुसार वह व्यक्ति जो 60 वर्ष से अधिक है, वह वृद्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आबादी के लगातार वृद्ध जनों का प्रतिशत और बढ़ जाने की संभावना है। जिसमें स्त्रियों का प्रतिशत अधिक है।

भारत में लगातार वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह विश्व के वृद्धों की संख्या के रूप में दूसरे नम्बर पर है। अनेक चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें कारण मृत्यु दर में कमी हुई है, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी हुई है जिससे वृद्धों का देश बनता जा रहा है। वर्तमान समय में वृद्धजनों की देखभाल वाले मूल्य कमजोर हो रहे हैं।

परम्परागत समाज में वृद्धजनों को काफी सम्मान मिलता था। यह भारतीय सभ्यता व संस्कृति के आधार स्तम्भ है। परम्परागत समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था ही दिखाई पड़ती थी। वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया हुआ करते थे। उनकी स्थिति सम्मान जनक हुआ करती थी। उनकी बातों को सब मानते थे।

विश्व की तेजी से बदलती आर्थिक संरचना ने सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव किया है। वर्तमान समय में पैसे को ही महत्व दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक और अधिक धन कमाना चाहता है। आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य हो गया है। वर्तमान समय में एंकाकी परिवार ही दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन समय के मूल्य, मान्यताएँ अब कमजोर हो गई हैं।

प्राचीन धर्मग्रन्थों को पढ़ने से पता चहता है कि हमारे पूर्वज इस बात का ध्यान रखते थे कि वृद्ध व्यक्तियों की उपेक्षा न हो। उन्हें पूरा सम्मान मिले। वृद्धों का अभिवादन वह उनकी सेवा करने वालों को यश, बल, सम्मान, विद्या व आयु में वृद्धि होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में अर्जेन्टाइना की पहल पर वृद्धावस्था की समस्याओं पर विचार दिया। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक समिति यूनेस्को में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1999 को वृद्धों के सम्मान में अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित किया और 1 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। भारत में वर्ष 2000 को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के साथ ही अनुच्छेद 1956 के कानून में

वृद्धों के लिए विधिक रूप से संरक्षण की व्यवस्था की गई। सरकार ने 1999 में वृद्धों के बारे में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। समाज कल्याण मंत्रालय की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन लागू की गई। वृद्धों की सहायता के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेई ने अन्नपूर्ण योजना को लागू किया था।

वृद्ध जनों के आयकर में रियायत दी जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन धारा योजना, जीवन अक्षय योजना, वरिष्ठ नागरिक यूनिट योजना, चिकित्सा बीमा योजना, वृद्धों के लिए शुरू की है।

उत्तर प्रदेश में दिसम्बर 1957 को वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू हुई थी। श्रीलेका में 'ओल्ड एज सेन्टर' चलाए जाते हैं। जिसमें वृद्ध व्यक्ति दिन के समय बिताने से उनका एकलापन दूर होता है।

चिली में एक ऐसी संस्था सक्रिय है जो उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है। जो वृद्ध व्यक्तियों के साथ काम करके उन्हें समाज के साथ जोड़े रखने का कार्यक्रम चलाते हैं। डॉ० प्रभुदत्त शर्मा (2011) ने वृद्धजनों के मानव अधिकार से सम्बन्धित पुस्तक में वृद्धों के प्राणीशास्त्रीय परिस्थितियों का जिक्र किया है।

वृद्धों की अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए सरकारों व अन्य संगठनों ने समय समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सहानभूतिपूर्वक आवश्यक सुविधाएँ दी जाये। निशुल्क चिकित्सा, पोष्टिक आहार दिया जाए। वृद्धों को जवानों के मध्य रहकर उन्हें समझाना और घुल मिलकर रहना चाहिए। वृद्धों के लिए संस्थान, आयोजन व समय समय पर राष्ट्रीय योजना बनायी जाती रहनी चाहिए। समस्या के निराकरण के लिए डे केयर सेन्टर, परिवार परामर्श, दादा-दादी अपनाओं, रैन बसेरे वृद्धाश्रम की स्थापना करनी चाहिए। समाज में एक सभ्य समाज के लिए ऐसा करके हम अपनी पहचान बना सकते हैं।

सन्दर्भ

1. कूले, सी०एच० "सोशल आर्गनाजेशन" सोरविन, न्यूयार्क, 1969
2. शर्मा, प्रभुदत्त, "वरिष्ठजन के मानवाधिकार" विश्व साहित्य पब्लिकेशन, 2011
3. भाटिया, एच०एस०, "ऐजिंग एण्ड सोसायटी" आर्याज बुक सेन्टर, उदयपुर
4. सिन्हा, जे०एस०पी०, "प्राब्लेम्स आफ ऐजिंग" ए क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1989
5. कुरुक्षेत्र, सितम्बर 2004
6. राधाकमल मुखर्जी चिन्तन परम्परा जनवरी दिसम्बर 2007
7. हरलान, ई०बी०, "डवलपमेन्टल साइकोलाबी" मैन साहिब पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1976